25/5/17 पत्रावली राजस्व कैम्प कोई कोपालेजर पर पेश हुई। प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी ने प्रकरण संख्या 3/5/12 निर्णय दिनांक 27.4.15 को प्रकरण अंतिम हाजरी में खारिज किया गया। जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी. कर दिनांक 29.12.15 को पेश किया गया, इस प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 परिसीमन अधिनियम का प्रस्तुत किया गया। जिसमें अंकित किया है कि दिनांक 27.4.15 के निर्णय की जानकारी प्रार्थी को दिनांक 16.12.15 को होना अंकित करते हुए बाकी काम खाने बाहर चला जाने से प्रार्थना पत्र पेश करने में हुई देरी के सम्बन्ध में माफ करने की प्रार्थना की गई है। इस प्रकार प्रार्थी ने धारा 5 परिसीमन अधिनियम में जो देरी का कारण अंकित किया गया है। वाकिई मान्य नहीं होकर बिना आधार के होने से उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है।

प्रार्थी द्वारा निर्णय दिनांक 27.4.15 के आदेश के संबंध में प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब से दिनांक 29.12.15 को प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मियाद बार होने से स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 9 व धारा 151 सी.पी.सी. का मियाद बार होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली के तल शुमार होकर नम्बर सेक्शन की जाये।

सहायक कलक्टर